

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
30प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 12 सितम्बर 2020

विषय:- पंचायतीराज विभाग में जनपद-बलिया में क्षेत्रीय पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्रिट/158/2020-3/04/2017 दिनांक 09.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पंचायतीराज विभाग में जनपद-बलिया में क्षेत्रीय पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु प्रावधानित धनराशि रु. 1325.89 लाख में से अवशेष चतुर्थ किश्त की धनराशि रु. 331.4725 लाख अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि जनपद-बलिया में क्षेत्रीय पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन द्वारा आंकलित रु. 1325.89 लाख में शासनादेश संख्या- 102/2016/3035/33-3-2016-294/2016 दिनांक 15.12.2016 द्वारा के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि की प्रथम किश्त रु. 331.4725 लाख, शासनादेश संख्या-74/2018/2684/33-3-2018-294/2016 दिनांक 14.09.2018 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रु. 331.4725 लाख, शासनादेश संख्या- 1507/33-3-2019-294/2016 दिनांक 17.07.2020 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रु. 331.4725 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्तानुसार जनपद-बलिया में क्षेत्रीय पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु उक्त प्रावधानित धनराशि रु. 1325.89 लाख में से चतुर्थ किश्त के रूप में रु. 331.4725 लाख की धनराशि अवशेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चतुर्थ किश्त के रूप में उक्त अवशेष धनराशि रु. 331.4725 लाख को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पंचायतों को सँक्रमित की जाने वाली धनराशि में से प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत 0.15 प्रतिशत धनराशि को आहरित कर व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
2. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. प्रायोजना का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

दरों में सम्मिलित नहीं है उन्हें बाजार दरों/कोटेशन पर विश्लेषित कर लिया गया है। तदनुसार प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आकलन किया गया है।

4. प्रायोजनान्तर्गत आडिटोरियम साउण्ड सिस्टम,साइनेज, स्टेज कर्टन, बैंक स्टेज, सोलर पैनलिंग, फर्नीचर, वुडेन फ्लोरिंग, कार्पेट एवं स्टेज लाइटिंग आदि कार्यमदों की लागत कोटेशन/बाजार दरों पर लागत प्रस्तावित की गयी है। प्रभाग द्वारा इन कार्यमदों की लागत का इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करेंगे। चूंकि यह प्रोप्राइटी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

5. प्रायोजना प्रस्ताव में फाल्स सीलिंग, एकास्टिकल वुडेन वाल, वुडेन फ्लोरिंग एवं वाल पैनलिंग का कार्य प्रस्तावित किया गया है, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों से उच्च विशिष्टियों के अन्तर्गत आती है। अतः कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यमदों पर अलग से शासन को प्रस्ताव निदेशक पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए आदेश दिया जायेगा।

6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7. इस धनराशि का व्यय उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

9. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2020-21 की अवधि में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

10. उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

11. उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

12. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

13. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

14- जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

15- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आजमगढ मण्डल, आजमगढ।
3. जिलाधिकारी, बलिया।
4. उप निदेशक (पं0), आजमगढ मण्डल, आजमगढ।
5. परियोजना प्रबन्धक,आवास एवं विकास परिषद ,निर्माण इकाई गाजीपुर।
6. जिला पंचायतराज अधिकारी, बलिया।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।